दिनांकः- 12.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

थाना कोतवाली पुलिस तथा स्वाट व सर्विलांश टीम ने टप्पेबाजी करने वाले गैंग को किया गिरफ्तार...।

05 पुरुष व 05 महिलाओं को किया गिरफ्तार, कब्जे से पीले व सफेद धातु के जेवरात जिनकी कीमत लगभग 17 लाख रुपये के अलावा 2 लाख 50 हजार रुपये नगद किये बरामद

दिनांक 01.02.2021 को समय करीब 11.00 बजे डीएवी इण्टर कालेज के सामने स्थित प्रियंका ज्वैलर्स पर पहचान छिपाते हुये फर्जी आधार कार्ड प्रयोग करते हुये टप्पेबाजी करके 21 लाख रुपये व 150 ग्राम सोना ले गये थे जिसके सम्बन्ध मे वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 09.02.2021 को थाना कोतवाली महोबा में मु0अ0सं0 56/21 धारा 420/406 भादवि बनाम लवकुश पुत्र खेमचन्द्र नि0 हमीरपुर चुंगी महोबा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्तगणो की शीघ्र गिरफ्तारी एवं घटना के शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा पुलिस के साथ स्वाट व सर्विलांश की टीमों को लगाया गया था।

जिसके तत्क्रम में आज दिनांक 12.02.2021 को उक्त अपराध में प्रकाश में आये अभियुक्तगणों को गठित टीम के द्वारा छतरपुर रोड स्थित रेलवे पुल के पास महोबा से गिरफ्तार किया गया जिसकी विवेचना के क्रम मे अभियुक्तगण उपरोक्त का नाम प्रकाश मे लाते हुये अभियुक्तगण से पीले व सफेद धातु के जेवरात जिनकी कीमत लगभग 17 लाख रुपये होगी के अलावा 2 लाख 50 हजार रुपये नगद बरामद करते हुये अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.अशोक नायक भोपा पुत्र स्व0 रामकुमार नायक उम्र 21 वर्ष निवासी नगली मेगा थाना एमआईए जिला अलवर राजस्थान
2. तेज सिंह पुत्र रघुवीर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम नौगांव थाना छाता जिला मथुरा
3. विक्रम पुत्र प्रभू उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम सालपुर थाना अरावली बिहार जिला अलवर राजस्थान
4. घनश्याम पुत्र छोटेलाल नायक उम्र 40 वर्ष निवासी आटासोना थाना अत्ता जिला मेवात तावड़ू हरियाणा
5. लाला राम पुत्र जन्सी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बंजाराबांध थाना लक्ष्मणगंज जिला अलवर राजस्थान
6. मोना पत्नी विक्रम उम्र 40 वर्ष निवासी सालपुर थाना अरावली बिहार जिला अलवर राजस्थान
7. रोशनी पत्नी रामकुमार उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम नगड़ी मेघा थाना एमआईए जिला अलवर राजस्थान
8. विमला पत्नी तेजसिह उम्र 40 वर्ष निवासी नौगांव थाना छाता जिला मथुरा
9. सोना पत्नी घनश्याम उम्र 30 वर्ष निवासी आटासोना थाना छत्ता जिला मेवाण ताबडू
10. गुड्डी पत्नी लालाराम उम्र 40 वर्ष निवासी बंजाराबास थाना लक्ष्मणगंज जिला अलवर राजस्थान

सम्बन्धित मु0अ0सं0 56/21 धारा 420/406/467/468/471 भादवि

बरामद की गयी सम्पत्तिः-

पीली व सफेद धातु के जेवरात जिनकी कीमत लगभग 17 लाख रुपये होगी के अलावा 2 लाख 50 हजार रुपये नगद की बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम व सर्विलांस टीमः-

1.उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह 2.उ0नि0 राहुल परमार 3.उ0नि0 राजबहादुर सिंह
4.कां0 नरेन्द्र सोनकर 5.कां0 धर्मेन्द्र चहर 6.कां0 अभिजीत पाण्डेय 7.कां0 दीपक वर्मा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना कोतवाली महोबाः-

1. उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह
2.कां0 जितेन्द्र सोनकर 3.कां0 मुकेश कुमार 4.म0कां0 राधिका 5.म0कां0 मोहनी

दिनांकः- 12.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक ली गयी।

आज दिनाकं 12.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम ने **CMO** ऑफिस पहुंचकर कोविड-19 का पहला टीका लगवाकर फ्रंट लाइन में काम कर रहे पुलिस कर्मियों से वैक्सीन लगवाने अपील की गयी। चूंकी पुलिस महकमें के मुख्य अधिकारी पुलिस अधीक्षक होते हैं इसीलिये पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोविड का टीका लगवाया गया। इसी क्रम में पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भी टीकाकरण करवाने में अपनी सहभागिता निभाई। पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक श्री सैनजीत सिंह के नेतृत्व में चिकित्सकों द्वारा कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। टीका लगाये जाने के बाद चिकित्सकों ने प्रमाण पत्र भी वितरित किये जिसे दूसरा टीका लगाये जाने का दिनांक भी अंकित किया गया, टीकाकरण लगने के बाद 30 मिनट तक टीकाकरण केन्द्र पर रुकना होगा प्रतिरक्षित व्यक्ति को यदि बेचैनी या किसी भी तरह की समस्या होती है तो तत्काल दिये गये हेल्पलाइन नम्बर पर सूचित करें।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिये अभी भी सतर्कता बहुत जरुरी है।वैक्सीन हमारे देश में बनी है और पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिये किसी को घबराने की जरुरत नहीं है। सभी अपनी बारी आने पर समाजहित में टीकाकरण जरूर करवायें।

थाना पनवाडी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व वांछित / वारंटी अपराधियो की धरपकड़ अभियान के क्रम मे थाना पनवाडी प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में उप नि. विनोद सिंह व का0 ओमप्रकाश शर्मा व का0 पंकज कुमार द्वारा अभियान में सम्मलित होकर आज दिनांक 12.02.2021 को वारण्टी अभियुक्त रामकेश पुत्र श्रीपत लोधी उम्र करीब 42 वर्ष निवासी मसूदपुरा थाना पनवाडी जिला महोबा को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मां0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-थाना कोतवाली।

1. उ.नि. विनोद सिंह यादव
2. का0 ओमप्रकाश शर्मा
3. का0 पंकज कुमार

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरणः–

रामकेश पुत्र श्रीपत लोधी उम्र करीब 42 वर्ष निवासी मसूदपुरा थाना पनवाडी जिला महोबा।

चरखारी पुलिस द्वारा तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनाँक 12.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शस्त्रों की बरामदगी व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्रभारी थाना उ0नि0 श्री मोबीन अली द्वारा गठित टीम ने राठ रोड बार्डर वहद ग्राम बफरेता थाना चरखारी जिला महोबा से अभियुक्त फूल सिंह पुत्र जगदीश श्रीवास उम्र करीब 26 वर्ष, नि0 ग्राम सदर कैथा थाना राठ जिला हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। **जिनके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मय मोटर साइकिल नं. UP 91 N 7076 बरामद किया गया। अभियुक्त की गाड़ी के कागजात न होने के कारण धारा 207 MV ACT में सीज** किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 40/2021 धारा 3/25 A. ACT का अभियोग पंजीकृत** कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

फूल सिंह पुत्र जगदीश श्रीवास उम्र करीब 26 वर्ष, नि0 ग्राम सदर कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ.नि. शिवरतन गुप्ता
2. का. अरविन्द कुमार पाल व
3. का. हिमांशु पाल

कबरई पुलिस ने गिरफ्तार किया वाँछित अभियुक्त

आज दिनाँक 12.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 कबरई दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम ने **थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 43/21 धारा 147/332/353/341/504/506/379/411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम** में वांछित अभियुक्त बृजेश अहिरवार पुत्र बाबू अहिरवार उम्र 24 वर्ष, नि0 कस्बा मटौंध जनपद बाँदा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त बृजेश अहिरवार पुत्र बाबू अहिरवार उम्र 24 वर्ष, नि0 कस्बा मटौंध जनपद बाँदा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा
2. कां0 धर्मवीर कुमार

दिनांक:- 12.02.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

सीसीटीएनएस कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

आज दिनाँक 12.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में एवं नोड़ल अधिकारी सीसीटीएनएस अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस कार्यालय सभागार में जनपद के समस्त थाना के सीसीटीएनएस कर्मियों एवं समस्त पेशी के कर्मियों को सीसीटीएनएस में पर्यवेक्षी टिप्पणी अंकित किये जाने का प्रशिक्षण कंप्यूटर ऑपरेटर अंकुर जायसवाल व कंप्यूटर ऑपरेटर रहमान रशीद द्वारा दिया गया। इसके साथ ही केस डायरी की शत प्रतिशत फीडिंग/ सभी ऑनलाइन फॉर्म फीडिंग आदि हेतु कर्मियों को निर्देशित किया गया।

यातायात टीम द्वारा चार-पहिया वाहन चालको को पम्पलेट देकर सीट-बेल्ट लगाने के प्रति किया गया जागरूक

आज दिनाँक 12.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी यातायात श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात महोबा उ0नि0 अरविन्द मिश्रा द्वारा मय टीम के **"राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह"** के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम के तहत चार पहिया वाहन चालको को पम्पलेट्स देकर वाहन चलाते समय शीट बेल्ट लगाने के प्रति जागरुक किया गया। जिसमें लिखा है- **"सीट बेल्ट जो ना लगाएगा, बाद में वह पछताएगा"** इसके साथ ही लोगो को यातायात के प्रति जागरुक करते हुये वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने, नशे में ड्राइविंग न करने की सलाह की गई। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालको का **ई-चालान** भी किया गया।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्ध की चेकिंग व पूछताछ

आज दिनाँक 12.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली कुलपहाड़ पुलिस बल के साथ कस्बा कुलपहाड़ के बस-स्टैण्ड/मुख्य बाजार/मोहल्ले आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्धों से पूछताछ ल चेकिंग की गई । इसके साथ ही जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त के दौरान क्षेत्र के मोहल्ले/मुख्य बाजार/बस-स्टैण्ड, होटल, ढाबा आदि की संघन चेकिंग की गई एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही बार्डर के थानों द्वारा बैरियर लगाकर आने-जाने वाले व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई । **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमो का उल्लंघन करने पर **21 वाहन चालको से 3400/-रु0 शमन शुल्क व 37 ई-चालान किये गये।**

Good Morning
Mahoba
महोबा पुलिस
महोबा पुलिस
महोबा पुलिस द्वारा 'गुड मॉर्निंग महोबा' अभियान के तहत पुलिस/नागरिकों के बीच "पुलिस मित्र" के रुप में बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने की अनोखी पहल है । गुड मार्निंग टीमें क्षेत्र में भ्रमण के दौरान छात्र/छात्राओं से मार्निंग वाक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया
दिनाँक 12.02.2021
सोशल मीडिया सेल